



DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001

शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001

Phone : 0771- 2331330, 2421376, Fax : 2331331, Website : <http://www.cgdteraipur.ac.in>

सत्र 2010-11 में विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रमों के अन्य राज्य कोटा (10%) में AIEEE - 2010 के मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु ऑन लाइन काउंसिलिंग की सूचना (केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिये)

प्रदेश में स्थित समस्त स्वषासी-स्ववित्तीय (Autonomous & Self Finncancing) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं निजी (Private) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित अन्य राज्य कोटा (Other State Quota - 10%) में सत्र 2010-11 में AIEEE - 2010 के मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिये संस्थाओं/ब्रांचों का आबंटन (Allotment) ऑन लाइन काउंसिलिंग द्वारा होगा। इसका कार्यक्रम निम्नानुसार है। प्रवेश/आबंटन हेतु अभ्यर्थी का अन्य राज्य का मूलनिवासी होना अनिवार्य है। छ.ग. के मूल निवास छात्र अन्य राज्य कोटा में प्रवेश हेतु विचारणीय नहीं है। (AIEEE -10 में शून्य अथवा ऋणात्मक प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है)।

ऑन लाईन काउंसिलिंग कार्यक्रम

स.क्र.	विवरण	दिनांक से	दिनांक तक
1	Website: http://mkcl.biz/cgdte में ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन भरना (Online Registration & Option Filling)	10 जुलाई 2010 सुबह 11.00 बजे	14 जुलाई 2010 रात्रि 12.00 बजे
2	संचालनालय तकनीकी शिक्षा, रायपुर में दस्तावेजों का परीक्षण (रविवार दिनांक 18 जुलाई को बंद रहेगा)	15 जुलाई 2010	20 जुलाई 2010
3	सीट आबंटन की सूची जारी करना (Provisional Allotment)	23 जुलाई 2010 (समय अपरान्ह 2.00 बजे)	
4	आबंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य	26 जुलाई 2010	31 जुलाई 2010

प्रवेश हेतु योग्यता :

- दिनांक 01.07.2010 को आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।
- मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक एवं गणित विषयों के साथ रसायन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साइंस/जीवविज्ञान में से 01 विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीनों मुख्य विषयों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है अथवा 03 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- अन्य राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- छत्तीसगढ़ के निवासी छात्रों को अन्य राज्य कोटा में प्रवेश की पात्रता नहीं है। अतः छ.ग. के मूल निवासी छात्र AIEEE- 2010 के आधार पर ऑन लाईन आवेदन/पंजीयन न करें। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के प्रवेश सी.जी. कोटा (75 प्रतिषत) में पी.ई.टी. - 2010 की मेरिट के आधार पर ऑन लाईन होंगे। यदि अन्य राज्य कोटा, अन्य राज्य के छात्रों से नहीं भरता है तो उसे छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में विलय कर दिया जायेगा।

1. (A) **Online Registration** : ऑन लाईन पंजीकरण (Online Registration) जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर, किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर में किया जा सकता है । ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये । 12वीं की अंकसूची (प्राप्तांकों को भरने के लिये), **AIEEE – 2010** की अंकसूची (रोल नंबर डालने के लिये), बैंक चालान की प्रति (चालान संबंधी जानकारी भरने के लिये) । अतः इन्हें देखने (सहायता) के लिये अपने साथ में लेकर जायें । संस्था एवं ब्रांच की सूची की भी आवश्यकता होगी जो वेबसाइट के होम पेज पर भी दी गई है ।

ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन के लिये आपको निम्न चरण (Steps) करने होंगे ।

सबसे पहले उम्मीदवार <http://mkcl.biz/cgdte> नामक वेबसाइट में जायें । इसके होम पेज पर कई जानकारियाँ दी गई हैं । जैसे :- समस्त संस्थाओं की सूची, संस्थाओं की फीस की जानकारी, बैंक चालान का प्रारूप, काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी, आदि । इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें ।

- 1 (अ) इसके पश्चात् स्क्रीन के बायें तरफ के मेनु **[New Registration]** को क्लिक करें एवं दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें । फिर **[Proceed]** बटन को क्लिक करें । दिये गये नियम एवं शर्तों (Terms & Conditions) को ध्यान से पढ़ें, यदि ये शर्तें आपको मान्य है तो **[Accept]** बटन पर क्लिक करें । **[Reject]** करने पर आप प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे । यदि आपने त्रुटिविष **[Reject]** कर दिया है तो पुनः **[New Registration]** में जाकर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं ।
- 1 (ब) अगले स्क्रीन पर आपके मूल निवास की जानकारी पूछी जायेगी, यदि आप अन्य राज्य के निवासी है तो सेलेक्ट Domicile Status में Outside Chhattisgarh Domicile रेडियो बटन में माउस प्वाइंटर के माध्यम से क्लिक करें, । इसके पश्चात् अपना **AIEEE – 2010** का रोल नंबर तथा जन्मतिथि (**DOB**) एंटर करें । उसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें । इससे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर (Login ID एवं Password) मिलेगा । इसे सुरक्षित नोट कर लें तथा गुप्त रखें ।
- 1 (स) इसके पश्चात् स्क्रीन के बायें तरफ के मेनु **Registered Candidate Login** में क्लिक करें । अब जो स्क्रीन खुलेगा उसमें अपना Login ID एवं Password एंटर करें एवं Login में क्लिक करें । यहाँ आपको Change Password में अपना Password बदलने के लिये कहा जायेगा । यहाँ अपना पासवर्ड बदल लें । पासवर्ड 08 digit का होना चाहिये एवं शब्दों एवं अंकों से मिलकर (Alpha-Numeric) बना होना चाहिये । ID एवं Password को किसी भी को भी न बतायें, इसकी गोपनीयता भंग होने की स्थिति में इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी । इसे याद रखें क्योंकि इसकी आवश्यकता संस्था में प्रवेश लेते समय भी रहेगी ।
- 1 (द) इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगी उसमें आपको अपनी Personal Details एवं Contact Details की जानकारियाँ दें इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें । आपके **AIEEE-2010** की जानकारी भरें । शैक्षणिक योग्यता की जानकारी में –
यदि आप 12वीं के आधार पर प्रवेश ले रहे हों तो HSc रेडियो बटन में क्लिक करें ।
निर्धारित स्थान पर 12वीं का रोल नंबर एवं बोर्ड का नाम तथा दिये गये विषयों के प्राप्तांक एवं कुल अंक भरें । 12वीं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही गणित, भौतिक एवं रसायन विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।
यदि आप डिप्लोमाधारी है तो डिप्लोमा में क्लिक करें ।
दस्तावेज परीक्षण की तिथि तक 03 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं निर्धारित स्थान पर उसके अंक भरें । इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।
- 1 (ई) चालान संबंधी जानकारी – सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 500/- (रु. पाँच सौ केवल) की राशि का चालान **भारतीय स्टेट बैंक** के देश भर में स्थित किसी भी शाखा में "संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़" के नाम से **संचालित खाता क्रमांक – 31073343567** में जमा करना अनिवार्य है । इस कॉलम में भारतीय स्टेट बैंक की जिस ब्रांच में राशि जमा की गई है, उसका नाम तथा जमा करने की तिथि अंकित की जानी है । भारतीय स्टेट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक में राशि जमा नहीं करना है । वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in अथवा <http://mkcl.biz/cgdte> से बैंक चालान फार्म डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है । **चालान फार्म में जो Registration ID/Ref. No.में अपना AIEEE-2010 रोल नंबर/ओवर ऑल मेरिट रैंक डाले ।** इसकी चार प्रति में से एक प्रति बैंक में

जमा होगी, DTE की कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना है एवं कॉलेज कॉपी को जिस संस्था में प्रवेश लेना है वहाँ जमा करना तथा Candidate Copy को अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है । चालान ही जमा करना है, डी.डी. नहीं बनाना है ।

1. (B) विकल्प (Option) भरना –

1 B (अ) विकल्प भरने के लिये किसी एक कोर्स/ब्रांच का नाम चुने एवं क्लिक करें । इस पाठ्यक्रम को संचालित करने वाली संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्शित होंगे । जिस-जिस संस्था में प्रवेश लेने के लिये आप विकल्प भरना चाहते हैं, उनके सामने के चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें । आप जितना चाहें उतनी संस्थाओं का नाम दे सकते हैं (अधिक से अधिक संस्थाओं का नाम दें) । इसके पश्चात् [**Add Selected Options**] को क्लिक करें । चुनी हुई संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्शित हो जायेंगे । अब दूसरे पाठ्यक्रम को क्लिक करें इसको संचालित करने वाली संस्थाओं की सूची प्रदर्शित होगी । जहाँ-जहाँ प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उनको चेक बॉक्स में क्लिक करते जायें । पुनः [**Add Selected Options**] बटन दबायें, चुनी हुई संस्थाओं के नाम नीचे प्रदर्शित सूची में जुड़ जायेगी । यही प्रक्रिया अन्य कोर्स/ब्रांच के लिये करें । आप कितने ही ब्रांच एवं कितने ही संस्थाओं का विकल्प भर सकते हैं । इच्छानुसार सारे विकल्प भरने के बाद तब अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें ।

टीप :- 1. चूंकि काउंसिलिंग प्रक्रिया लगभग 15 दिन चलेगी एवं इस बीच में कुछ नयी संस्थायें/ब्रांच AICTE/CSVTU की अनुमति से प्रारंभ हो सकती है । अतः इन संस्थाओं/ब्रांचों को भी विकल्प में शामिल किया गया है एवं आप इसका भी विकल्प दे सकते हैं । परंतु यदि इन संस्थाओं/ब्रांचों की अनुमति दस्तावेज परीक्षण तिथि की अंतिम तिथि तक नहीं मिल पाती है तो इन संस्थाओं/ब्रांचों में आबंटन नहीं किया जायेगा । ऐसे संस्थाओं की सूची होम पेज पर अलग से दी गई है ।

2. यह छात्र की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी विकल्प का क्रम भरा गया है वह उसके स्वयं के इच्छा एवं विवेक से भरा गया है । किसी प्रलोभन, दबाव या किसी के कहने पर नहीं भरा गया है । सलाह दी जाती है कि सहायता केन्द्रों में जाने से पहले अपना संस्था/ब्रांच का प्राथमिकता क्रम तैयार कर लें । जिससे विकल्प भरते समय ज्यादा कठिनाई न हो एवं ज्यादा समय न लगे ।

विकल्प का प्राथमिकता क्रम (Priority) देना :-

1 B (ब) आपके द्वारा चुने हुये संस्थाओं की ब्रांचों सहित सूची दिखाई देगी । अब जिस ब्रांच एवं संस्था (Choice) में आप पहले प्रवेश लेना चाहते हैं उसको पहला क्रम देने हेतु उसके सामने [**Set Preference**] में क्लिक करें । इसका क्रम **Preference No. 1** आ जायेगा । अब प्राथमिकता क्रम में दूसरे (Choice) का चयन करें । उसका क्रम – 2 आ जायेगा इसी प्रकार सभी बॉक्स को टिक करते जायें । सभी विकल्प के सामने क्रम प्रदर्शित हो जायेंगे । सभी विकल्प का क्रम पुनः जांच कर लें यदि आपको यह लगता है कि क्रम बदलना चाहिये या क्रम में कोई त्रुटि हो गई है तो इसे आप बदल सकते हैं । ऐसा करने के लिये [**Reset My Preference**] में क्लिक करें इससे पुराने क्रम मिट जायेंगे । अब उपरोक्तानुसार ही प्रक्रिया कर पुनः सभी विकल्पों का दूसरा क्रम दें । जब आप आष्वस्त हो जायें कि अब क्रम सही है तो अंत में **Save & Proceed>>>** में क्लिक करें ।

(टीप :- 1. आपको संस्था एवं ब्रांच का आबंटन आपके **AIEEE- 2010** के मेरिट के आधार पर होगा, परंतु यह हो सकता है जो प्राथमिकता क्रम आपने भरे हैं वे आपका मेरिट अन्य से कम होने के कारण आपको न मिले । अतः कृपया ऑप्शन का क्रम ऐसा भरें जिससे आपको संस्था/ब्रांच आबंटन होने की संभावना हो ।

1 B (स) इसके पश्चात् स्क्रीन पर **Application cum Option Form** दिखेगा, इसका प्रिंट ले लें, एवं प्रिंट लेने के पश्चात् इसमें अपना फोटो लगा लें । इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है क्योंकि इसी प्रिंट को लेकर आपको दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (**DVC**) में जाना है । यदि प्रिंट लेने के पश्चात् आपको पुनः यह लगता है कि विकल्प के क्रम में कोई बदलाव किया जाना है तो यह बदलाव किया जा सकता है । यदि आप अपने विकल्प में बदलाव करेंगे तो आपका पुराना विकल्प वाला फार्म स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं नये विकल्प फार्म का **Version No.** बदल जायेगा । **Version No. Application cum Option Form** के प्रथम पृष्ठ पर उपर बीच में दिया है । **दिनांक 14 जुलाई 2010 सायं 6.00 बजे तक** आप कितने बार भी अपने विकल्प बदल सकते हैं । परंतु इसके पश्चात् विकल्प बदलने की अनुमति नहीं रहेगी । जो विकल्प फार्म आपने अंतिम बार भरा है उसी विकल्प फार्म का अंतिम

(Version) ही मान्य किया जायेगा । इसके पूर्व के विकल्प नहीं । विकल्प बदलने के लिये आप पुनः **Registered Candidate Login** में जायें, स्क्रीन पर बायें तरफ के संबंधित टेब Shortlist Your Option अथवा Set Your Preference में जायें । यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों का केवल कम बदलना है तो Set Your Preference में जायें तथा यदि आपको पूर्व में दिये गये विकल्पों में कुछ नये विकल्प जोड़ने या घटाने हैं तो पहले Shortlist Your Option में जायें तत्पश्चात् Set Your Preference में जाकर पुनः उनका क्रम दें एवं पुनः उसका प्रिंट ले लें और इस **Application cum Option Form** जिसमें आपसे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी एवं विकल्पों का क्रम रहेगा, को लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में जायें । अंतिम **Version** क्रमांक वाला विकल्प फार्म को लेकर आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे वही विकल्प मान्य होगा । **Application cum Option Form** की दो कॉपी कर लें एवं 01 कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा करें । साथ में अनिवार्य रूप से सभी मूल अंकसूची एवं उसकी फोटो कॉपी की एक सेट भी लेकर जायें ।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –

आबंटन से पूर्व आपके द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है तथापि यदि आवश्यक हो तो केवल एक पालक साथ में आ सकते हैं । **दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय तकनीकी शिक्षा, बायरन बाजार, रायपुर** में कराया जाना है । ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा ऑन लाईन आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस में प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 तक खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा) ।

- 2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लिये हैं । **एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म का प्रिंट लेकर जाना अनिवार्य है**, जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज – सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है । केवल दिखाना है ।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की 01 प्रति (01 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें) ।
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र (01 जुलाई 2010 को अधिकतम आयु 25 वर्ष होना चाहिये) ।
3. 12वीं की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) । दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही गणित, भौतिक एवं रसायन विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । **पूरक अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है ।**
4. **AIEEE**– 2010 की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)
5. संबंधित अन्य राज्य के मूल निवासी प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज जिससे यह सिद्ध होता है कि अभ्यर्थी अन्य राज्य का मूल निवासी है ।
6. भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़ के नाम से संचालित खाता क्रमांक **31073343567** में काउंसिलिंग फीस रु. 500/- जमा करने की बैंक चालान की **DTE** कॉपी जमा करना है । बैंक चालान फार्म की कॉपी वेबसाइट से डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है । **बिना रु. 500/- का चालान जमा किये आवेदन मान्य नहीं होगा ।**
7. 02 पासपोर्ट साइज फोटो ।

निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में नहीं है परंतु इनकी आवश्यकता संस्थानों में प्रवेश लेते समय रहेगी –

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
2. गेप प्रमाण पत्र (यदि 8वीं से 12वीं के मध्य अध्ययन में व्यवधान हुआ है तो)
3. माइग्रेषन प्रमाण पत्र

उपरोक्त प्रमाण पत्र लेकर जब आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों द्वारा आपके मूल दस्तावेजों से आपके **Application cum Option Form** में दी गई जानकारी का मिलान किया जायेगा । जब सभी दस्तावेज सही पाये जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका **Application cum Option Form** को अंतिम रूप से सबमिट कर लॉक कर दिया जायेगा जिसके बाद उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकेगा । लॉक करने के पश्चात् **Acknowledgement cum Option Form** की 02 प्रति प्रिंट की जायेगी एवं दोनों प्रतियों में छात्र के हस्ताक्षर लिये जायेंगे तथा परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं **DVC** की सील भी लगाई जायेगी । **DVC** द्वारा आपको **Acknowledgement cum Option Form** की 01 प्रति दी जायेगी, जिसे आप सुरक्षित रखें ।

3. सीट आबंटन (Allotment)

(अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् 23 जुलाई 2010 को सभी अभ्यर्थियों का संस्था/ब्रांच आबंटन कर दिया जायेगा । अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये विकल्प का आबंटन उनके **AIEEE** के मेरिट के आधार सीट उसकी बारी आने तक उपलब्ध रहने के आधार पर होगा । आबंटन सूची इसी वेबसाइट पर देखा जा सकती है, यदि आपने मोबाइल नंबर दिया हो तो **SMS** के द्वारा आपको सूचित किया जायेगा । **SMS** प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी संचालनालय/एम.के.सी.एल. की नहीं रहेगी ।

(ब) आप अपने **Login** में जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं । अस्थायी आबंटन पत्र इंटरनेट द्वारा कहीं से भी निकाला जा सकता है । इसकी 02 कॉपी करा लें तथा इसे लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें ।

4. आबंटित संस्था में प्रवेश लेना –

आबंटित संस्था में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्धारित अवधि तक प्रवेश लेना अनिवार्य है । यदि इस अवधि में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो आपका आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । ध्यान रखें कि प्रवेश के समय आबंटित संस्था में भी आपके दस्तावेजों का जांच होगा । अतः यह सुनिश्चित कर लें कि संस्था में प्रवेश के लिये अस्थायी आबंटन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ संस्था में उपस्थित हों, संस्थाओं की फीस की जानकारी वेबसाइट के होम पेज पर दी गई है । आबंटन होने के पश्चात् छात्रों के संस्था में प्रवेश के समय भी संस्था द्वारा उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी, यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र की किसी त्रुटि से अथवा भूलवश गलत प्रवेश हो गया है तो प्रवेश रद्द करने का अधिकार संचालनालय/संस्था को रहेगा । चूंकि प्रवेशित छात्रों की जानकारी संस्थाओं द्वारा ऑन लाईन रोजाना अपडेट की जाती रहेगी । अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये अपने सामने ही वेबसाइट के इंस्टीट्यूट लॉग इन में अपना प्रवेश कन्फर्म करवा लें । **AIEEE-2010** की द्वितीय चरण की काउंसिलिंग नहीं कराई जायेगी यदि सीटें रिक्त रहती है तो उसे छत्तीसगढ़ कोटा में परिवर्तन कर दिया जायेगा एवं उसे पी.ई.टी.-2010 के मेरिट के आधार पर भरा जायेगा

5. यह काउंसिलिंग कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित हो सकती है जिसकी सूचना समाचार पत्रों में दी जायेगी ।
6. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में संचालक, तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।
7. काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी <http://mkcl.biz/cgdte> एवं www.cgdteraiipur.ac.in में दी गई है । आवश्यक पूछताछ के लिये दूरभाष क्रमांक 0771-2421376 एवं मोबाइल नंबर 98274-72366 पर संपर्क किया जा सकता है ।

संचालक

तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़